

SHREE KAILA INFRAVENTURE

(Krishna Aspire Extension)

B-1, Kamla Nagar, Agra-282005

To,

Shri V.B. Singh

Technical Advisor

U.P. RERA

Subject – Clarifications on Objections Observed by U.P. RERA against the Application ID- 298813 for the Project Krishna Aspire Extension.

Reference – Objection Letter No. 0709214/ U.P. RERA/ Proj. Reg./2021-22 Dated 07-09-2021

Respected Sir,

A pointwise response to the objections observed by U.P. RERA is being responded here through details and attachments

Point No.1 – Sir, the reason for not uploading the Audited balance sheet of the preceding year is enclosed as Enclosure 1.

Point No. 2. The concerned land parcel for the project “Krishna Aspire Extension” is bought by Shree Kaila Infraventure through two separate sale deeds. The concerned project was sanctioned by Agra Development Authority on 26-09-2020 and the concerned land was purchased by our firm on 30-04-2021 and 16-06-2021. Thus, the development of the project will now be done by M/s Shree Kaila Infraventure and the previous owners of the Land including Sh. Ashok Kumar Goyal is no longer related to this project.

Point No. 3, Sir the reply to the same are given in the points below

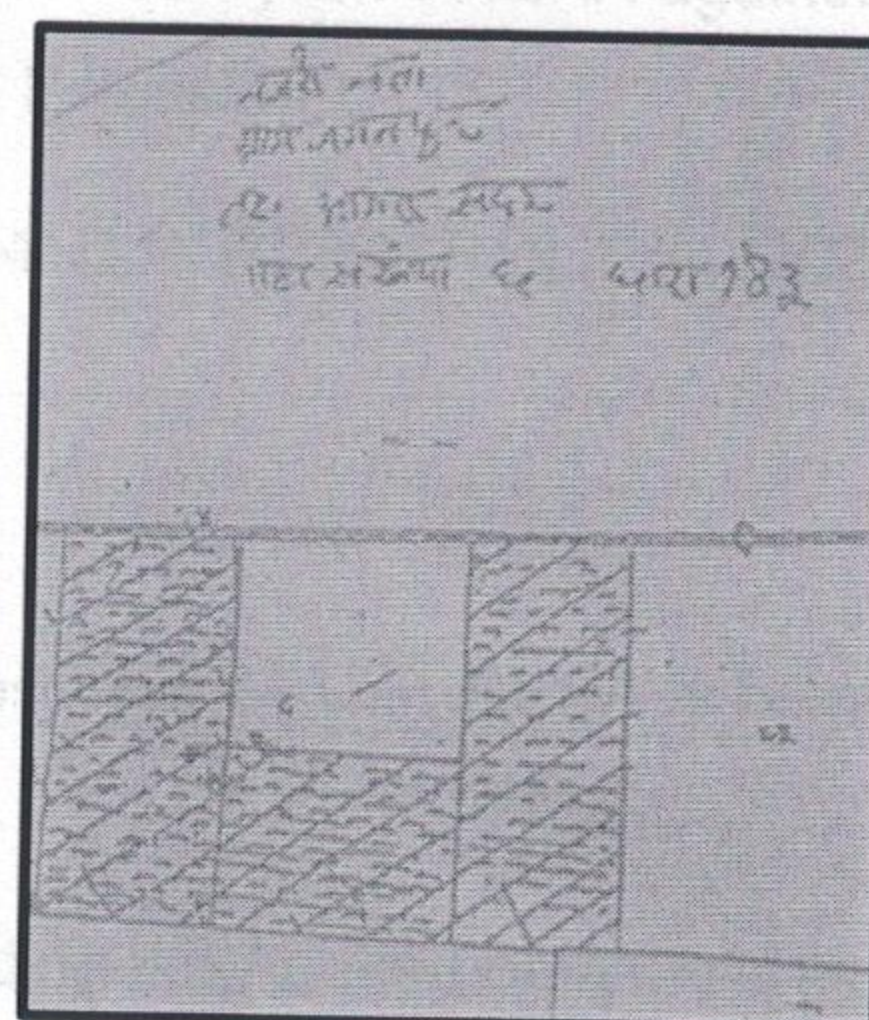
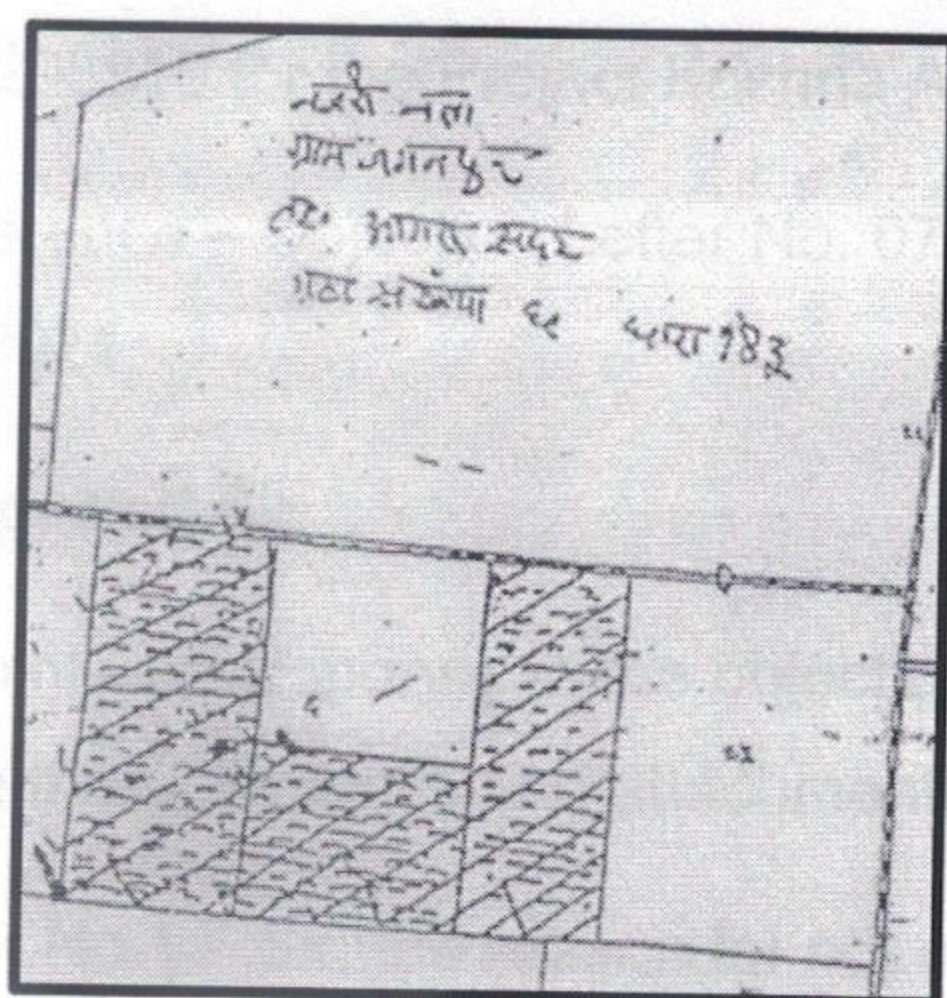
- i. The concerned land parcel of the concerned project along with some other piece of land of Kharsra No. 6, Mauja Jaganpur, Agra has been declared non-Agricultural through an order of honourable SDM on 14-07-2000. The copy of the order is attached as Enclosure No. 2

SHREE KAILA INFRAVENTURE (Krishna Aspire Extension)

B-1, Kamla Nagar, Agra-282005

- ii. The current Khatauni bearing the names of the previous owners is attached as Enclosure No. 3
- iii. The application for update of land revenue records has been filed on 03-08-2021 the same is attached as enclosure No. 4
- iv. The view of the declared Non- Agricultural Land and the highlighted concerned

land of project
is shared in
Pics below



Point No. 4. The Affidavit is attached as Enclosure 5

Point No. 5. The Authorization Certificate is attached as Enclosure 6.

Sir, with reference to the above explanations we hope to have cleared the objections.

Requesting you to grant the registration of our Project

With Best Regards

Yours Truly

Vinod Kumar Agarwal

ENCLOSURE 1

SHREE KAILA INFRAVENTURE

(Krishna Aspire Extension)

B-1, Kamla Nagar, Agra-282005

The firm 'Shree Kaila Infraventure' is not required to get audit of accounts for the AY 2020-21 (FY 2019-20) as per the provisions of Income Tax Act. . So I have uploaded balance sheet signed by the partners of the firm.

A taxpayer is required to have a tax audit carried out if the sales, turnover or gross receipts of business exceed Rs.1 Crore in the financial year. However, a taxpayer may be required to get their accounts audited in certain other circumstances in the table mentioned below:

Business	
Carrying on business (not opting for presumptive taxation scheme*)	Total sales, turnover or gross receipts exceed Rs.1 Crore in the FY
Carrying on business eligible for presumptive taxation under Section 44AE, 44BB or 44BBB	Claims profits or gains lower than the prescribed limit under presumptive taxation scheme
Carrying on business eligible for presumptive taxation under Section 44AD	Declares taxable income below the limits prescribed under the presumptive tax scheme and has income exceeding the basic threshold limit.
Carrying on the business and is not eligible to claim presumptive taxation under Section 44AD due to opting out for presumptive taxation in any one financial year of the lock-in period i.e. 5 consecutive years from when the presumptive tax scheme was opted	If income exceeds the maximum amount not chargeable to tax in the subsequent 5 consecutive tax years from the financial year when the presumptive taxation was not opted for
Carrying on business which is declaring profits as per presumptive taxation scheme under Section 44AD	If income exceeds the maximum amount not chargeable to tax in the subsequent 5 consecutive tax years from the financial year when the presumptive taxation was not opted for
Carrying on business which is declaring profits as per presumptive taxation scheme under Section 44AD	If the total sales, turnover or gross receipts does not exceed Rs 2 Crore in the financial year, then tax audit will not apply to such businesses.

For Shree Kaila Infraventure



Partner

SHREE KAILA INFRAVENTURE (Krishna Aspire Extension)

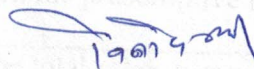
B-1, Kamla Nagar, Agra-282005

Business loss	
In case of loss from carrying on of business and not opting for presumptive taxation scheme	Total sales, turnover or gross receipts exceed Rs 1 Crore
If taxpayer's total income exceeds basic threshold limit but he has incurred a loss from carrying on a business (not opting for presumptive taxation scheme)	In case of loss from business when sales, turnover or gross receipts exceed 1 Crore, the taxpayer is subject to tax audit under 44AB
Carrying on business (opting presumptive taxation scheme under section 44AD) and having a business loss but with income below basic threshold limit	Tax audit not applicable
Carrying on business (presumptive taxation scheme under section 44AD applicable) and having a business loss but with income exceeding basic threshold limit	Declares taxable income below the limits prescribed under the presumptive tax scheme and has income exceeding the basic threshold limit

NOTE: The threshold limit of Rs 1 Crore for a tax audit is proposed to be increased to Rs 5 Crore with effect from AY 2020-21 (FY 2019-20) if the taxpayer's cash receipts are limited to 5% of the gross receipts or turnover, and if the taxpayer's cash payments are limited to 5% of the aggregate payments.

Hence, Audit is not applicable for the FY 2019-20 on the firm Shree Kaila Infraventure.

For Shree Kaila Infraventure


Partner

ENCLOSURE 2

न्यायालय श्री जी०पी० त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी। सदर।, आगरा।

वा.सं.ख्या 46/99-2000

ओम प्रकाश आदि

बनाम

उ०प्र०सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०एच
भू०व्य०अधि०

मौजा- जगनपुर मुस्त०
तहसील व जिला आगरा।

आदेश

धारा 143 ज०वि०एच भू०व्य०अधिनियम के अन्तर्गत आवादी की घोषणा हेतु प्रार्थना पत्र श्री ओम प्रकाश, विशम्भर, सुरेन्द्र, मुन्ना पुत्रगण स्व० रामस्वरूप व श्रीमती फूलदेवी पत्नी रामस्वरूप, हीरालाल, जवाहरलाल, बीरी सिंह पुत्रगण स्व० रामचन्द्र व किरनदेवी पत्नी रामचन्द्र व रामप्रसाद पुत्र जोहरी, समस्त निवासीगण ग्राम जगनपुर मुस्तकिल, तहसील व जिला आगरा के द्वारा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि मौजा जगनपुर मुस्त० के गाटा संख्या 6मि० रकबा 8.041 हे० के हुकम सिंह वा० दलीप सिंह व लाल सिंह नावा० उम्र क्रमशः 15, 6 वर्ष पुत्रगण कुमारसेन वली व संरक्षिका श्रीमती दुआकुमारी माता स्वयं नि० ग्राम जगनपुर, तहसील व जिला आगरा के स्वामी काविज व दखील है। प्रश्नगत उक्त भूमि में संलग्न खसरा के अनुसार संक्रमणीय भूमिपर दर्ज कागजात है व प्राथीगण का उक्त भूमि में 3/4 भाग है व उनके भाग की भूमि रकबा 6.030- $\frac{3}{4}$ हे० आबादी से घिरी हुई है व जिसमें काफी समय से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित कर दिया जावे।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार, सदर। आगरा। से करायी गयी। तहसीलदार, सदर। आगरा ने अपनी जाँच आख्या दिनांक 11-6-2000 में उल्लेख करते हुए संस्तुति की है कि प्राथीगण राम प्रसाद पुत्र जोहरी, श्री ओमप्रकाश, विशम्भर, सुरेन्द्र व मुन्ना पुत्रगण रामस्वरूप व श्रीमती फूलदेवी पत्नी स्व० रामस्वरूप व हीरालाल व जवाहर लाल व बीरी सिंह पुत्रगण रामचन्द्र व किरनदेवी पत्नी स्व० रामचन्द्र निवासी लालगढ़ी म० सिकन्दरपुर, तहसील आगरा सदर का ग्राम जगनपुर मु० में खाता नम्बर 303 गाटा संख्या 6 रकबा 8.041 हे० लगानी र० 132=60 पैसे है, जो संक्रमणीय भूमिपर है, जिसमें से 3/4 भाग की ज०वि०अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत आबादी घोषित कराने की प्रार्थना की है तथा खातेदार 1/4 भाग, जिस पर खेती होना दर्शाया है, के मालिक श्री हुकम सिंह वा० व दलीप सिंह व लाल सिंह ना० बा० उम्र 15, 6 संरक्षिका एवं वली श्रीमती दुआकुमारी अपनी भूमि की आबादी अभी नहीं चाहती है। स्थल पर जाँच के दौरान उक्त गाटा संख्या 6मि० जो आबादी के नजदीक है तथा भूमि यमुना नदी के किनारे पर है तथा अकृषिक बंजर भूमि तथा यमुना की कटी है, इसलिए कृषि उपयोग में भी नहीं आ रही है। उक्त नम्बर के कुछ भाग में खेती होती है शेष अकृषिक है। खतौनी एवं खसरा जाँच आख्या के साथ संलग्न है। संस्तुति की है कि श्री राम प्रसाद पुत्र जोहरी, ओमप्रकाश, विशम्भर, सुरेन्द्र, मुन्ना पुत्रगण रामस्वरूप व श्रीमती फूलदेवी पत्नी स्व० रामस्वरूप व श्री हीरालाल व जवाहर लाल, बीरी सिंह पुत्रगण रामचन्द्र व किरनदेवी पत्नी स्व० रामचन्द्र निवासी लालगढ़ी म० सिकन्दरपुर, तहसील आगरा सदर के खाता संख्या 303 गाटा संख्या 6मि० से 6.030 $\frac{3}{4}$ है, लगानी र० 99=45 पैसे की ज०वि० अधिनियम की धारा 143 के नियम 135(1) के संलग्न प्रारूप, जिस पर क्षेत्र नायब तहसीलदार के प्रमाणित हस्ताक्षर है, अनुसार आबादी घोषित कर

दी जावे। प्रश्नगत उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के उपयोग में नहीं आ रही है।

मैं पत्रावली का अवलोकन किया। आख्या तहसीलदार अनुसार प्राथीगप का नाम खतानी वर्ष 1406५0 से 1408५0 में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। गाटा संख्या 6मि० रकबा 06.030³/₄-है० के खातेदारों ओम प्रकाश आदि, जिनके द्वारा अपने भाग की भूमि धारा 143 ज०वि०एवं भू०व्य०अधि० के अन्तर्गत अकृषिक घोषित कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रारूप नियम 135 ज०वि०एवं भू०व्य०अधि० में प्रश्नगत भूमि जिसका प्रख्यापन चाहा है, का विवरण अंकित है तथा नक्शा नजरी में उसे लाल स्याही की लाइनों से दर्शाया है।

मैं तहसीलदार सदर।आगरा। की संस्तुति आख्या दिनांक 11-6-2000 से सहमत हूँ। प्रश्नगत भूमि गाटा संख्या 6मि० रकबा 06.030³/₄-है० को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार प्रख्यापन जारी किया जाये।

जी०पी०त्रिपाठी।
उप जिलाधिकारी।सदर।आगरा।
14-7-2000

से.157/51001(R)

[illegible]

दिनांक

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

सिक्खरु मरु

Page 13 of 13

महरी नारा
शासनात्मक
एर. भागार सदन
नारा मंत्रालय ६
प्राप्त १४३

1- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 2- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 3- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 4- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 5- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 6- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 7- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 8- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 9- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.
 10- 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु. 1000 रु.

19/6/2002

TRUE COPY

195/2001

ENCLOSURE 3



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : जगनपुर मुस्तकिल परगना : (आगरा) तहसील : आगरा जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1427-1432 भाग : 1 खाता संख्या : 00319				
खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।				
रिषी कुमार गोयल / वीरिन्द्र कुमार अग्रवाल / 27-पुरानी विजय नगर कालोनी आगरा ओम प्रकाश / राम स्वरूप / सिकन्दरपुर विशम्भर / राम स्वरूप / सिकन्दरपुर सुरेन्द्र / राम स्वरूप / सिकन्दरपुर मुन्ना / राम स्वरूप / सिकन्दरपुर श्रीमती फूलन देवी बेबा / राम स्वरूप / सिकन्दरपुर अनिल कुमार शर्मा / कैलाश नाथ शर्मा / 7/33 के0नगर पथवारी आगरा अरुण कुमार शर्मा / कैलाश नाथ शर्मा / 7/33 के0नगर पथवारी आगरा सुनील कुमार शर्मा / कैलाश नाथ शर्मा / 7/33 के0नगर पथवारी आगरा गोपाल कृष्ण बातल / हरी कृष्ण बातल / धौलपुर हाउस आगरा श्रीमती सैफाली बातल पत्नी / गोपाल कृष्ण बातल / धौलपुर हाउस आगरा श्रीमती रेनु अग्रवाल पत्नी / वीरिन्द्र कुमार अग्रवाल / 27-पुरानी विजय नगर कालोनी आगरा डा0 सुनील कुमार अग्रवाल / देशबन्धु जी अग्रवाल / 10- अशोका एन्क्लेब दयालबाग आगरा श्रीमती सीमा मल्होत्रा पत्नी / इन्दर मल्होत्रा / 58- बी आलोक नगर जयपुर हाउस आगरा वीरिन्द्र कुमार मुन्जाल / देशराज मुन्जाल / 202 विभव एजो वाटिका सूर्य नगर आगरा गृहणी नि0 सह0 आ0 समिति लि0 / - / - - आगरा द्वारा सचिव वेदभूषण / हरवंशलाल / नाई की मन्डी शहर आगरा	6	8.0410	पूर्व खतोनी से - 1408 फ0 :- व आदेश श्रीमान उपजिला अधिकारी सदर आगरा वाद सं0 46/99-2000 दि0 14.7.20 00 धारा 143 ज0वि0अ0 तहसीलदार आगरा की आख्या दि0 11.6.2000 के आधार पर मौजा जगनपुर मुस्त0 की निम्न लिखित भूमि को उ0प्र0ज0वि0 अधि0 1950 की धारा 143 सहपठित नियम 135(3) के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि यह भूमि कृषि उद्यानीकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन एवं कुक्कुट पालन भी है के उपयोग में नहीं है। जगनपुर मुस्त0 तह0 आगरा ओम प्रकाश , विशम्भर, सुरेश , मुन्ना पुत्रगण रामस्वरूप व श्रीमती फूलनदेवी पत्नी स्व0 रामस्वरूप व हीरालाल , जवाहर लाल , वीरी सिंह पुत्रगण रामचन्द व किरन देवी पत्नी स्व0 रामचन्द व रामप्रसाद पुत्र जौहरी नि0 ग्राम खसरा नं0 6मि रक्वा 6.030 हे0 भूराजस्व 99.45 रु0 द्वारा परवाना अमलदरामद । ह0ले0 29.9.2000 1410 फ0 :-व आदेश श्रीमान ना0तह0 बिचपुरी महो0 खाता सं0 324 मु0नं0 256/2002 / दि0 28.2.2003 सं0भू0 गाटा सं0 6/8.041 हे0 मा0गु0 60 ख के अनुसार में से आंशिक रक्वा 1672.2 वर्ग मी0 से रामप्रसाद पुत्र जौहरी नि0 लालगढी सिकन्दरपुर आगरा का नाम पृथक करके श्रीमती मंजूरानी अग्रवाल पत्नी प्रमोद जी अग्रवाल व	
हीरालाल / रामचन्द्र / सिकन्दरपुर कृपया उक्त खसरे को प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें जवाहर लाल / रामचन्द्र / सिकन्दरपुर Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। वीरी सिंह / रामचन्द्र / सिकन्दरपुर मुल्तान सिंह / रामचन्द्र / सिकन्दरपुर				

वि. न. 1/4

श्रीमती किरनदेवी वेवा / रामचन्द्र / सिकन्दरपुर भजोरीलाल / रामप्रसाद / नि.ग्राम जाति जाटव हरीओम जूरैल / ओमप्रकाश / पैतखेडा तह.एत्मादपुर संजय शर्मा / वासुदेव शर्मा / एल.आई.जी.138शहीदनगर ताजगंज, आगरा अशोक कुमार गोयल भागीदार / . / . मैसर्स अशोक कुमार गोयल / . / . पंजीकृत कार्यालय स्थित / . / . 2/27 सेठ गली आगरा / . / . अशोक कुमार गोयल / कैलाशचन्द्र / 2/27 सेठगली आगरा श्रीमती रमा सैनी / कुवरपाल सैनी / म0नं0 5 प्रेम भवन दयालबाग आगरा		श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल पत्नी विनोद जी अग्रवाल नि0 मौहल्ला मिश्राना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद का नाम बतौर सं0भू0 दर्ज हो। द्वारा बैनामा। ह0ले0 4.3.2003 1414फ:- व आदेश श्रीमान ना0तह0बिचपुरी के वाद सं0 176/06-07 दि0 19-0507 के अनुसार गा0सं0 6/8.041 मा0गु060ख मे विक्रेतागणो के नियत अंश से आंशिक रकवा 1024.54 वर्ग मी0से श्रीमती मंजूरानी अग्रवाल पत्नी प्रमोद अग्रवाल ,श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल नि0मौहल्ला मिश्रान शिकोहाबाद का नाम खारिज करके श्रीमती सुमन कत्याल पत्नी अश्वनी कत्याल नि09/635 मोती कटरा का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 19-05-07 ----- 1414फ:- व आदेश श्रीमान ना0तह0बिचपुरी के वाद सं0178/06-07 दि0 19-0507 के अनुसार गा0सं0 6/8.041मा0गु060ख मे विक्रेतागणो के नियत अंश से आंशिक रकवा 1024.54 वर्ग मी0से श्रीमती अग्रवाल पत्नी प्रमोद अग्रवाल ,श्रीमती राजकुमारी अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल नि0मौहल्ला मिश्रान शिकोहाबाद का नाम खारिज करके गौरव कत्याल पुत्र ओमप्रकाश कत्याल नि0 201शुभम अपार्टमेन्ट मदिया कटरा रोड आगरा का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के019-05-07 ----- पूर्व खतौनी से - व आदेश श्रीमान ना0तह0बिचपुरी महो0 खाता सं0 324 मु0 नं0 182 /2001 दि0 9-04-2002 सं0भू0 गाटा सं0 6/8.041 मा0गु0 60 ख के अनुसार 1/4 भाग में से आंशिक रकवा 2000 वर्ग मी0 से रामप्रसाद पुत्र जौहरी व ओमप्रकाश , विशम्भर, सुरेन्द्र व मुन्ना पुत्रगण रामस्वरूप व श्रीमती फूलनदेवी वेवा रामस्वरूप नि0 लालगढी सिकन्दरपुर आगरा का नाम खारिज करके योगेश चन्द्र शर्मा पुत्र महेश चन्द्र शर्मा व श्रीमती सेहलता शर्मा पत्नी योगेश चन्द्र शर्मा नि0 आई -4 लायर्स कालोनी हरीपर्वत वार्ड आगरा	
कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर विलिफ करें Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है । Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.			 

विनोद शर्मा

		का नाम बतौर सं०भू० दर्ज हो द्वारा बैनामा ह०ले० 8-5-2002 पूर्व खतौनी से - 1411फ :- I अपील नं० 60/02 -03 दिनांक 29-10-03 उपजिला अधिकारी सदर, आगरा प्राप्त 17-11-03 व आदेश उपजिलाधिकारी सदर आगरा के अनुसार अपील एक पक्षीय राय से स्वीकार की जाती है अपर न्यायलय के आदेश दि० 9-4-02 निरस्त किया जाता है द्वारा पत्रावली ह०ले० 5-2-2003 पूर्व खतौनी से -1411फ :- II अपील नं० 62/02 -03 / 29-10-03 उपजिला अधिकारी सदर, आगरा प्राप्त 17-11-03 व आदेश उपजिलाधिकारी सदर आगरा के अनुसार अपील एक पक्षीय रूप से स्वीकार की जाती है अपर न्यायलय का आदेश दि० 9-4-2002 निरस्त किया जाता है द्वारा पत्रावली ह०ले० 5-2-2003 पूर्व खतौनी से -1411फ :- III अपील नं० 63/02 -03 /29-10-03 उपजिला अधिकारी सदर, आगरा प्राप्त व आदेश उपजिलाधिकारी सदर आगरा के अनुसार अपील एक पक्षीय रूप से स्वीकार की जाती है अपर न्यायलय का आदेश दि० 9.4.2002 निरस्त किया जाता है ह०ले० 5-12-2003 1420फ:- व आदेश श्रीमान ना०तह०बिचपुरी के वाद सं० 348/11-12 दि० 23-08-2012 के अनुसार गा० सं० 6/8.0410हें० मा०गु० 132.60 के विक्रेतागणों के नियत सम्पूर्ण अंश यानि रकवा 1.4352हें० से प्रियंका हल्दिया पत्नी पृथ्वीपाल सिंह हल्दिया व पृथ्वीपाल सिंह हल्दिया पुत्र रामसहाय त्रिलोकनाथ हल्दिया नि० सी-101 रिषी अपार्टमेन्ट अलखनन्दा नई दिल्ली व श्रीमती कल्पना खण्डेलवाल पुत्र हेमन्त खण्डेलवाल व अनिल खण्डेलवाल पुत्र नत्थीलाल खण्डेलवाल व नत्थीलाल खण्डेलवाल पुत्र सोहनलाल खण्डेलवाल नि० 22/1 रिग रोड आगरा का नाम पृथक करके अशोक कुमार गोयल पुत्र कैलाशचन्द्र जी नि० 2/27 सेठगली कोतवाली वार्ड शहर आगरा भागीदार मैसर्स अशोक कुमार गोयल पंजीकृत कार्यालय स्थित 2/27 सेठगली कोतवाली वार्ड शहर आगरा का
कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें Disclaimer: उक्त ऑफ़कडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है । Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.		 

वि. नन्दन

			नाम वतौर बैनामा दर्ज हो ह0आर0के0 23-08-2012
			1421फ:- व आदेश चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेखआगरा नम्बर, मुकदमा 23 ता0फै026-12-13 नियम 109में आदेश हुआ कि बन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी आगरा के अपील आदेश संख्या 163 ता0फै0 30-01-13 के अनुपालन में सहा0चकबन्दी अधिकारी/चकबन्दीकर्ता कीआख्या दिनांक
			1428फ व आदेश श्रीमान ना.तह.बिचपुरी के वाद संख्या 173/2000-01 कम्प्यूटर वाद संख्या T201601010104356 आदेश दिनांक 15-07-2021 के अनुसार परगनाधिकारी सदर आगरा द्वारा अपील संख्या 62/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2003 के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित नामांतरण आदेश दिनांक 09.04.2002 वहाल किया जाता है द्वारा पत्रावली ह0र0का0 15-07-2021
			1428फ व आदेश श्रीमान ना.तह.बिचपुरी के वाद संख्या 175/2000-01 कम्प्यूटर वाद संख्या T201601010104357 आदेश दिनांक 15-07-2021 के अनुसार परगनाधिकारी सदर आगरा द्वारा अपील संख्या 60/2002.03 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2003 के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित नामांतरण आदेश दिनांक 9.4.2002 वहाल किया जाता है द्वारा पत्रावली ह0र0का0 15-07-2021
			1428फ व आदेश श्रीमान ना.तह.बिचपुरी के वाद संख्या 176/200-01 कम्प्यूटर वाद संख्या T201601010104358 आदेश दिनांक 15-07-2021 के अनुसार परगनाधिकारी सदर आगरा द्वारा अपील संख्या 63/2002.03 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2003 के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित नामांतरण आदेश दिनांक 9.4.2002 वहाल किया जाता है द्वारा पत्रावली ह0र0का0 15-07-2021
योग	1	8.0410	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

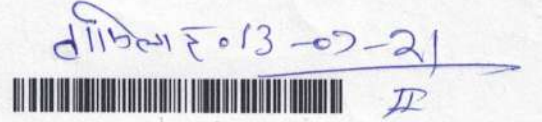
Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



वि. नरसिम्हा

ENCLOSURE 4



प्रिंट

इशतेहार/सार्वजनिक सूचना

न्यायालय:- न्यायालय नायब तहसीलादार, बिचपुरी, तहसील : आगरा, जनपद:- आगरा

वाद दर्ज होने की तिथि: 03/07/2021

पुराना वाद सं०:- 3749/2021

नया वाद सं०:- T202101010103749

इशतेहार की तिथि :

ग्राम:- जगनपुर मुस्तकिल

परगना:- आगरा

आपत्ति की अन्तिम तिथि :

श्री/श्रीमती:- श्री कैला इन्फ्रावेन्चर

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा :- पार्टनर विनोद कुमार अग्रवाल

पेशी की तिथि- 03/08/2021

निवास:- एफ 4 प्रोफेसर कालोनी कमला नगर आगरा, आगरा

बनाम

श्री/श्रीमती:- मेसर्स अशोक कुमार गोयल

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा :- अशोक कुमार गोयल

निवास:- 106 नेहरू नगर आगरा, आगरा

बजरिये :-

बैनामा/वरासत/वसीयत -----

श्री/श्रीमती:- श्री कैला इन्फ्रावेन्चर

पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा :- पार्टनर विनोद कुमार अग्रवाल

ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते नामांतरण पेश किया है कि उसने निम्न-लिखित भूमि द्वारा बैनामा वरासत/वसीयत प्राप्ति की है अतः दाखिल खारिज उसके नाम किया जाये।

भूमि का विवरण								
क्र सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिट कोड	क्षेत्रफल
1	आगरा	आगरा	आगरा	जगनपुर मुस्तकिल	00319	6	218362-0006-000013	8.0410

बजरिये इशतेहार हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी इस दाखिल खारिज में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो 30 दिन के अन्दर (दिनांक तक) इस न्यायालय में अपनी आपत्ति पेश करें।

नोट- नायब नाजिर इसकी एक प्रति तहसील में एक प्रति मोक़े पर चिपका कर तथा एक प्रति मुख्य नगर अधिकारी / प्रधान को, एक प्रति विक्रेता को, तथा एक प्रति सहखातेदार को (यदि कोई हो) दिला कर आखिरी प्रति पर अपनी रिपोर्ट दें।

*उक्त तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगला कार्यदिवस।

पीठासीन अधिकारी (न्यायालय की मुहर)



ENCLOSURE 5

भारतीय गैर न्यायिक

दस

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AE 910018

Affidavit cum Declaration

Affidavit cum Declaration of **Shree Kaila Infraventure** a Partnership firm through its authorized signatory cum partner **Vinod Kumar Agarwal S/o Sh. Moti Lal Agarwal**, the promoter of the proposed project **Krishna Aspire Extension**

I, promoter of the proposed project does hereby solemnly declare, undertake and state as under:

1. That the firm has a legal title to the land on which the development of the project is proposed
2. The land on Khasra No.6 (minjumla), Mauja Jaganpur, Agra on which the project is being developed is under the sole ownership of the Firm M/s Shree Kaila Infraventure
3. There is no other project registered with RERA on the above-mentioned parcel of land on Khasra No. 6, Mauja Jaganpur, Agra
4. Till date there have been no bookings or sales done in this project.

Deponent

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me there from.

Verified by me at on this 13th day of September 2021

Deponent

I declare that the pan card, adhaar number/CIN number uploaded on website is correct and both are of the promoter. I also declare that all other document submitted are correct. If any information, document including details of payment made as fee etc. are found mislead or wrong, the authority may reject the registration.

ATTESTED
Sanjeet Singh
Gazetted Officer
Notary, Agra

ENCLOSURE 6

SHREE KAILA INFRAVENTURE (Krishna Aspire Extension)

B-1, Kamla Nagar, Agra-282005

Date: 30th June 2021

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is hereby declare that Mr. Vinod Kumar Agarwal, Partners of the Firm be and is hereby authorized on behalf of the Firm to deal with and represent the Firm with the appropriate authorities under U. P. RERA and to do the following acts, deeds and things on behalf of the Firm:

- to sign all the Statements, Declarations and other documents and writings,
- to appear, plead, agree, act and to sign, move and file petitions, sign and swear statements on behalf of the Firm,
- to deposit any amount of fee and to claim refund, if any,
- to receive and reply all communication from the said Authorities on behalf of the Firm,
- to appoint/engage any advocate, Counsel, consultant etc. to act on behalf of the Firm in these present before any and/or all the authorities named above and to settle their fees, and
- to do all such acts, deeds and things as may be necessary to give effect to the above.

Further, Mr. Vinod Kumar Agarwal be and is hereby authorized to do all such acts, deeds and things as may be necessary or incidental to give effect to the above and to delegate all or any one or more of the aforesaid power/s to any other person(s) by way of Power of Attorney(s) and authorize them to exercise the powers so delegated on behalf of the Firm."

For Shree Kaila Infraventure


Partner

Signature of Mr. Vinod Kumar Agarwal (Partner)

For M/S Shree Kaila Infraventure

For Shree Kaila Infraventure


Partner

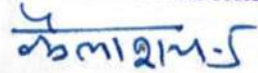
(Partner)

For Shree Kaila Infraventure


Partner

(Partner)

For Shree Kaila Infraventure


Partner

(Partner)